प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) सं. 102/ 2024

1 - प्रबंध निदेशक, अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

2 - जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्राचार्य, बी. एस. पी. हाई स्कूल, सेक्टर-8, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

रमेश, पिता- रामलू, आयु- लगभग 25 वर्ष, निवासी- मकान सं. 57, वार्ड सं. 20, सड़क सं. 18, आजाद मोहल्ला, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

सह

रिट याचिका (श्रम) सं. 186/ 2024

1 - प्रबंध निदेशक, अब प्रभारी संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

2 - शिक्षा अधिकारी, अब महाप्रबंधक (शिक्षा), शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्रधानपाठक, बी. एस. पी., इंग्लिश मिडियम मिडिल स्कूल, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती पी. चिन्तामणी, पति- अकैया, आयु- लगभग 52 वर्ष, निवासी- ब्लॉक सं. 3/**F**, सड़क सं. 59, सेक्टर- 6, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

सह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (श्रम) सं. 185/ 2024</u>

1 - प्रबंध निदेशक, अब प्रभारी संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

2 - शिक्षा अधिकारी, अब महाप्रबंधक (शिक्षा), शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्राचार्य, बी. एस. पी. हाई स्कूल, सेक्टर-8, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमति अहिल्या बाई, पति- तेलूचंद, आयु- लगभग 52 वर्ष, निवासी- ब्लॉक सं. **L.C.**-1/**F**, लेबर कैम्प- 1, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

सह

रिट याचिका (श्रम) सं. 188/ 2024

1 - प्रबंध निदेशक, अब प्रभारी संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

2 - शिक्षा अधिकारी, अब महाप्रबंधक (शिक्षा), शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्राचार्य, भिलाई विद्यालय, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमति नोनाबाई, पति- बुधराम, आयु- लगभग 46 वर्ष, निवासी- संजय नगर, कुम्हारपारा, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

सह

रिट याचिका (श्रम) सं. 184/ 2024

1 - प्रबंध निदेशक, अब प्रभारी संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

2 - शिक्षा अधिकारी, अब महाप्रबंधक (शिक्षा), शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्राचार्य, बी.एस.पी. सीनियर सेकण्डरी स्कूल सं. 2, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमति कविता चौरे, पति- राहुल चौरे, आयु- लगभग 52 वर्ष, निवासी- बुद्ध विहार, सड़क क्र. 1, सेक्टर- 6, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

<u>रिट याचिका (श्रम) सं. 190/ 2024</u>

1 - प्रबंध निदेशक, अब प्रभारी संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 - शिक्षा अधिकारी, अब महाप्रबंधक (शिक्षा), शिक्षा विभाग, रसियन कॉम्पलैक्स, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

3 – प्राचार्य, बी.एस.पी. सीनियर सेकण्डरी स्कूल, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

राम अजैया, पिता- चिनैया, आयु- लगभग 48 वर्ष, निवासी- ब्लॉक सं. 1/**A**, सड़क क्र. 60, सेक्टर- 6, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता

संबंधित उत्तरवादियों की ओर से : श्रीमती स्मिता झा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डे

पीठ पर आदेश

09.01.2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) चूंकि वर्तमान प्रकरण में विधि और तथ्यों के सामान्य प्रश्न सम्मिलित हैं, इसलिए इन रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया है, एक साथ सुना गया है और अंत में इस सामान्य आदेश द्वारा उन्हें निर्णीत किया गया है।

2) याचिकाकर्ताओं ने प्रकरण सं. 42/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल; 42/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल; 43/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल; 44/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल; 45/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल; 46/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल तथा 48/न्यू. म. अधिनियम/2017 सिविल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण, श्रम न्यायालय, दुर्ग (छ. ग.) द्वारा पारित 15.12.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है जिनके तहत श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत दायर आवेदनों को उक्त न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को दिसंबर, 2015 से जून, 2017 तक न्यूनतम मजदूरी की अंतर राशि का भुगतान 2 माह की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया गया था।

3) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. आर. पाटनकर ने निवेदन किया कि सभी रिट याचिकाओं के निजी उत्तरवादियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें संबंधित स्कूलों के अभिभावक- शिक्षक संघ (संक्षेप में, संघ) द्वारा अलग-अलग तिथियों पर सफाईकर्मी (स्वीपर/ क्लीनर) के पद पर नियोजित किया गया था। आगे उनका तर्क है कि निजी उत्तरवादियों की सेवाओं को संघ द्वारा अलग-अलग तिथियों पर समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने तर्क किया कि निजी उत्तरवादियों ने अपनी सेवाओं की समाप्ति के विरूद्ध विद्वान श्रम न्यायालय का आश्रय लिया और विद्वान श्रम न्यायालय ने दावों के कथन को स्वीकार किया और 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ बहाली का अधिनिर्णय पारित किया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी, रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं और मामले को 26.06.2008 पर विद्वान श्रम न्यायालय में वापस भेज दिया गया था। विद्वान श्रम न्यायालय ने फिर से 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ बहाली का एक अधिनिर्णय पारित किया और उस अधिनिर्णय को वर्ष 2012 में रिट याचिकाओं का एक समूह दायर करके चुनौती दी गई और प्रमुख प्रकरण रिट याचिका (श्रम) सं. 35/2012 था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पाटनकर का तर्क है कि समन्वय पीठ ने कहा कि निजी उत्तरवादियों/श्रमिकों को कभी भी सेल/बी. एस. पी. द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, और उनका वेतन/मजदूरी/पारिश्रमिक अभिभावक-शिक्षक संघ द्वारा दिया जाता था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सेल/बी. एस. पी. विद्यालय और अभिभावक- शिक्षक संघ को चला या नियंत्रित कर सकती है, परन्तु विद्यालय में रिपोर्टिंग करने वाले श्रमिकों पर कोई सीधा नियंत्रण या पर्यवेक्षण नहीं था, न कि सेल/बी. एस. पी. के प्रबंधन पर। वह तर्क करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में भी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत विद्वान श्रम न्यायालय श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि अधिनियम, 1948 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

4) दूसरी ओर, निजी उत्तरवादियों/ श्रमिकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने श्री पाटनकर द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि श्रमिक/निजी उत्तरवादियों को अभिभावक- शिक्षक संघ द्वारा नियुक्त किया गया था, परन्तु विद्यालय बी.एस.पी./सेल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में थे, अतः विद्वान श्रम न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश पारित कर सही किया।

5) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तों को सुना है और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6) निजी उत्तरवादियों/श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20 के तहत वेतन के भुगतान के लिए विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) अधिनियम, 1948 की धारा 20 में कहा गया है कि कोई ऐसा कर्मचारी जिसे मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी मिल रही है, वह अपनी शिकायत के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

8) वर्तमान प्रकरण में, निजी उत्तरवादियों/श्रमिकों ने मजदूरी का दावा किया और श्रमिकों को दिए जा रहे न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी के मध्य के अंतर के संबंध में कोई विवाद नहीं था, अतः उत्तरवादियों ने गलत विधिक विचार के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत विद्वान श्रम न्यायालय पहुँचे।

9) इस संबंध में विवाद्यक नहीं है। **मैंगनीज अयस्क (भारत) मर्यादित बनाम चण्डी लाल साहा व अन्य (1991 एल. ए. बी. आई. सी. 524)** के मामले में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने कण्डिका- 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "17. वर्तमान प्रकरण में मजदूरी की दरों के बारे में कोई विवाद नहीं था और पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मजदूरी की न्यूनतम दरें

अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा तय की गई थीं। श्रमिकों ने इस तरह से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मांग की और अपीलार्थी ने बाहरी कारणों से श्रमिकों को ऐसा करने से मना कर दिया। इन परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20 के तहत उपाय श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं था और श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-ग(2) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का सही उपयोग किया।"

10) 02.01.2018 को पारित **डब्ल्यू. पी. एल. सं. 5940/ 2008** में **रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स (निजी) मर्यादित बनाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त व अन्य के** मामले में कण्डिका 10 में समन्वय पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. तत्पश्चात् उपरोक्त दोनों निर्णयों पर भरोसा करते हुए, श्री विनोद कुमार अग्रवाल बनाम क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) व एक अन्य, 1992 एल. ए. बी. आई. सी. 1303 के प्रकरण में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने समान रुख अपनाया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राधिकरण को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 के तहत श्रमिकों की पात्रता तय करने का अधिकार नहीं है, सिवाय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 के तहत एक कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी तय करने के और किसी कर्मचारी के अन्य सभी दावों के लिए उचित उपाय निर्धारित किया गया है कि वे मजदूरी भुगतान अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33- ग(2) के उपबंधों के तहत होंगे।

11) ऊपरोक्त आधिकारिक निर्णय के आलोक में और इस तथ्य पर भी ध्यान देते हुए कि मजदूरी की दरों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, इस न्यायालय के मत में, विद्वान श्रम

न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को पार कर दिया। तदानुसार, आक्षेपित आदेश विधि की नजर में यथावत् रखे जाने योग्य नहीं हैं और इसके साथ ही निजी प्रतिवादी/श्रमिक अपने दावा/दावों को उचित मंच के समक्ष अपनी शिकायतों, यदि कोई हो, का निवारण कराने हेतु स्वतंत्र हैं। तदनुसार, इन रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

12) यदि कोई अंतरिम अनुतोष पहले प्रदान किया जा चुका है तो वह निष्क्रीय हो जाएगा।

सही/-

(राकेश मोहन पाण्डे)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**